भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3148

(30 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

विभिन्न पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि

3148. श्री सतीश चंद्र दुबे:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वृद्धावस्था पेंशन , दिव्यांग पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि में कोई वृद्धि करने का विचार रखती है;

(ख) रजिस्टर्ड पेंशनभोगियों का बिहार सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सभी राज्यों में पेंशन की राशि समान है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों के 40 से 79 वर्ष की आयु वर्ग की विधवाओं और 18-79 वर्ष की आयु वर्ग के दिव्यांगजनों को 300/- रुपये प्रति माह की दर से और 60 से 79 वर्ष की आयु वर्ग के वृद्धजनों को 200/- रुपये प्रतिमाह की दर से मासिक केन्द्रीय सहायता का भुगतान किया जा रहा है। 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के इन लाभार्थियों को केन्द्रीय सहायता की राशि को बढ़ाकर 500/- रुपये प्रति माह कर दिया गया है। एनएसएपी के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख): बिहार राज्य सहित एनएसएपी स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): एनएसएपी की पेंशन स्कीमों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता की दर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक समान है। तथापि , राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएसएपी के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त टॉप-अप प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 30.03.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3148 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की पेंशन स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा

वर्ष– 2021-22		एनएसएपी की पेंशन स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या		
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वृद्धावस्था पेंशन स्कीम	विधवा पेंशन स्कीम	दिव्यांगजन पेंशन स्कीम
1	आंध्र प्रदेश	662641	245607	24413
2	बिहार	2996472	634695	126156
3	छत्तीसगढ़	644429	260625	32085
4	गोवा	13059	8160	468
5	गुजरात	580706	218395	33537
6	हरियाणा	258583	57149	11537
7	हिमाचल प्रदेश	98368	17979	3125
8	झारखंड	993567	272108	31286
9	कर्नाटक	966595	465363	43639
10	केरल	449158	209236	29935
11	मध्य प्रदेश	1569627	536412	99924
12	महाराष्ट्र	1350000	100000	50000
13	ओडिशा	1418631	528570	90754
14	पंजाब	201039	42187	6473
15	राजस्थान	799636	278712	56854
16	तमिलनाडु	1237809	549084	79316
17	तेलंगाना	473575	175530	17448
18	उत्तर प्रदेश	4345014	991784	182823
19	उत्तराखंड	239498	95313	14386
20	पश्चिम बंगाल	1423192	644590	86750
पूर्वोत्तर राज्य				
21	अरुणाचल प्रदेश	29290	3565	1284
22	असम	707927	137463	18916
23	मणिपुर	56045	8043	1007
24	मेघालय	77980	8498	969
25	मिजोरम	25251	1925	400

26	नागालैंड	44530	3720	960
27	सिक्किम	16418	1614	817
28	त्रिपुरा	141510	17927	2144
संघ राज्य क्षेत्र				
29	अंडमान और निकोबार	5924	1504	301
30	चंडीगढ़	5111	942	204
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	8898	1858	320
32	रा.रा.क्षेत्र दिल्ली	119403	36361	6321
33	जम्मू और कश्मीर	132837	7891	2426
34	लद्दाख	6488	443	363
35	लक्षद्वीप	569	285	51
36	पुदुचेरी	17713	9785	1259
	कुल योग	**22117493**	**6573323**	**1058651**

*****